135

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय,
MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS,
(पोत परिवहन विभाग / Department of Shipping),
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING,

टेलीफोन : 22613651 - 54
फैक्स : 91-22-22613655
E-mail : dgship@dgshipping.com

'जहाज भवन'/ 'JAHAZ BHAVAN'
वालचंद हीराचंद मार्ग / W. H. MARG,
मुंबई / MUMBAI - 400 001.

Tele : 22613651 - 54
Fax : 91-22-22613655
Web : www.dgshipping.com

23 मार्च MAR 2009

सं. / No : MSL- 2(6)/2003-II

दिनांक / Dated : 6 March, 2009

Sub : **Framing of Merchant Shipping (International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage) Rules, 2008**

The Merchant Shipping (International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage) Rules, 2008 was published in the Gazette of India G.S.R. 220 (E) on 27th March, 2008. The said Notification has been laid on the Tables of both Houses of Parliament on 11.12.2008. A copy of the Notification, both in Hindi and English is forwarded herewith for necessary action.

(V. Rajendran)
Dy. Director General of Shipping

To

1. **The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Mumbai/Kolkatta/Chennai/Kandla/Kochi**
2. **The Surveyor-In-Charge, Mercantile Marine Department, Goa/Haldia/Jamanagar /New Mangalore/Noida /Paradip Port Blair/Tuticorin/Visakhapatnam**
3. **The Secretary, Indian National Shipowners' Association, 22 Maker Tower F (2nd Floor), Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.**
4. **The Shipping Corporation of India Ltd., (SCI) Shipping House, 245, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021.**
5. **The Director, Foreign Owner Representatives & Shipmanagers Association, 1517, Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai 400 021.**
6. **The Secretary, Maritime Association of Shipowners, Shipmanagers & Agents, Mackinnon Mackenzie Building, 1st Floor, 4, Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.**
7. **The President, Indian Register of Shipping, 52A, Adi Shankaracharya Marg, Opp. Powai Lake, Powai, Mumbai- 400 072.**
8. **The Nautical Adviser to the Government of India**
9. **The Chief Surveyor with the Government Of India**
10. **The Dy. Chief Ship Surveyor**
11. **DDG (Coastal)**
12. NS (DK)
13. Computer cell for necessary action

जारी
ISSUED

Joshi
13/12/10.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2008/चैत्र 7, 1930
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2008/CHAITRA 7, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पोत परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2008

सा.का.नि. 220 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 352यक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

भाग - 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के प्रतिकर के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये निम्नलिखित को लागू होंगे --

(क) भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या उससे लगे किन्हीं समुद्री क्षेत्रों, जिन पर भारत राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में अनन्य अधिकारिता रखता है या इसके पश्चात् रख सकेगा, के भीतर किसी भारतीय पोत या किसी विदेशी पोत द्वारा कारित प्रदूषण क्षति ; और

(ख) प्रदूषण क्षति को रोकने या उसे कम करने के लिए किए गए निवारक उपायों की लागत ।

2. परिभाषाएं -- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है ;

(ख) "सभा" से निधि अभिसमय के संविदाकारी सभी राज्यों की सभा अभिप्रेत है ;

(ग) "निदेशक" से निधि का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ङ) "पोत टनभार" से वह सकल टन भार अभिप्रेत है जो वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के अनुसार संगणित किया जाता है ;

(च) "लेखा इकाई" से भारत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा यथा परिभाषित विशेष आहरण अधिकार अभिप्रेत है जिसे प्रतिकर के संदाय की पहली तारीख के बारे में निधि की सभा के विनिश्चय की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाअवधारित विशेष आहरण अधिकार का रुपयों में मूल्य के आधार पर रुपयों में संपरिवर्तन किया जाएगा ।

(2) इन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम के अध्याय 10ख और 10ग में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं ।

3. निधि का प्रशासन - (1) निधि से किन्हीं दावों को सभा के विनिश्चय और अनुमोदन के अनुसार निपटाया जाएगा और संवितरित किया जाएगा ।

(2) निदेशक, जो निधि का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, निधि में किए गए अभिदायों को एकत्रित करेगा और सभा द्वार अनुमोदित आंतरिक विनियमों के अनुसार दावों के निपटान के संबंध में कार्यवाही करेगा और जहां कोई विवाद उत्पन्न होता है वह निधि का विधिक प्रतिनिधि होगा ।

भाग - 2
प्रतिकर का संदाय

4. निधि का दायित्व -- (1) उप नियम (2) और (3) तथा नियम 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निधि प्रदूषण क्षति से ग्रस्त किसी व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी है जहां --

(क) प्रदूषण क्षति के लिए स्वामी का दायित्व धारा 352झ के अधीन उद्भूत होता है ;

(ख) वह धारा 352ञ के अधीन पूर्ण और पर्याप्त प्रतिकर अभिप्राप्त करने में असमर्थ है ;

(ग) दायी व्यक्ति अपनी पूरी आबद्धताओं को पूरा करने में वित्तीय रूप से असमर्थ है ;

(घ) धारा 352ढ के अधीन उपलब्ध कराई गई वित्तीय प्रतिभूति दावों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है ;

(ङ) ऐसी प्रदूषण क्षति किसी आपवादिक, अपरिहार्य और अनिवार्य प्रकृति के किसी प्राकृतिक दृश्य घटना का परिणाम है ;

(2) निधि किसी प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी जहां --

(क) निधि यह साबित करती है कि प्रदूषण क्षति युद्ध शत्रुता, सिविल युद्ध या विप्लव के किसी कार्य का परिणाम है; या किसी युद्धपोत या सरकार के स्वामित्व और उसके द्वारा प्रचालित पोत से तेल के रिसने या फैलने से कारित हुई थी और केवल सरकार के गैर -वाणिज्यिक सेवा के लिए घटना के समय उपयोग की गई थी ।

(ख)दावेदार यह साबित नहीं कर सकता कि प्रदूषण क्षति ऐसी घटना के परिणामस्वरूप हुई है जिसमें एक या अधिक पोत अंतग्रस्त हैं ।

(ग) प्रतिकर का कोई दावा छह वर्ष के पश्चात् किया गया है ।

(3) जहां निधि यह साबित करती है कि उस व्यक्ति द्वारा, क्षति कारित करने के आशय से किए गए किसी कार्य या भूल से या ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा से प्रदूषण क्षति हुई है वहां निधि प्रतिकर संदाय करने की अपनी बाध्यता से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निवृत्त हो सकेगी :

परंतु निधि केवल उस सीमा तक निवृत्त हो सकेगी जिस तक पोत का स्वामी धारा 352झ के अधीन निवृत्त हो सकेगा :

परंतु यह और कि निधि प्रदूषण क्षति को रोकने या उसे कम करने के लिए किए गए निवारक उपायों के संबंध में निवृत्त नहीं होगी ।

5. निधि के दायित्व की परिसीमा. - **(1)** उप नियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन निधि द्वारा संदेय प्रतिकर की संकलित रकम किसी एक घटना के संबंध में इस प्रकार परिसीमित होगी कि इन नियमों के अधीन निधि द्वारा संदत्त प्रतिकर की रकम की कुल धनराशि और धारा 352झ के अधीन वास्तविक संदत्त प्रतिकर की रकम 135 मिलियन लेखा इकाइयों से अधिक नहीं होगी :

परंतु 1 नवंबर, 2003 को या उसके पश्चात् होने वाली ऐसी घटना की दशा में संदेय प्रतिकर की रकम की कुल धनराशि 203 मिलियन लेखा इकाइयों से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी आपवादिक, अपरिहार्य और अनिवार्य प्रकृति के किसी प्राकृतिक दृश्य घटना के परिणामस्वरूप होने वाली प्रदूषण क्षति के लिए इन नियमों के अधीन निधि द्वारा संदेय प्रतिकर की संकलित रकम 135 मिलियन लेखा इकाइयों से अधिक नहीं होगी :

परंतु 1 नवंबर, 2003 को या उसके पश्चात् होने वाली ऐसी घटना की दशा में संदेय प्रतिकर की रकम की कुल धनराशि 203 मिलियन लेखा इकाइयों से अधिक नहीं होगी ।

(3) जहां किसी ऐसी अवधि के दौरान होने वाली कोई घटना जिसमें निधि अभिसमय के तीन राज्य पक्षकार अंतर्वलित हैं जिसके संबंध में पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान ऐसे राज्य पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अभिदात्री तेल की सम्मिलित सुसंगत मात्रा या तो 600 मिलियन टन के समतुल्य या उससे अधिक है वहां उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रतिकर की अधिकतम रकम 200 मिलियन लेखा इकाइयां होगी :

परंतु 1 नवंबर, 2003 को या उसके पश्चात् होने वाली ऐसी घटना की दशा में संदेय प्रतिकर की रकम की कुल धनराशि 300.74 मिलियन लेखा इकाइयों से अधिक नहीं होगी ।

धारा 352ट के अधीन गठित परिसीमन निधि के संबंध में प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, इस नियम के अधीन निधि द्वारा संदेय अधिकतम प्रतिकर की गणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

6. प्रतिकर के संदाय की रीति . - (1) जहां निधि से सिद्ध दावों की रकम नियम 5 के अधीन संदेय प्रतिकर की संकलित रकम से अधिक होती है वहां निधि की उपलब्ध रकम ऐसी रीति में संवितरित की जाएगी कि किसी सिद्ध दावा और इस नियम के अधीन दावेदारों द्वारा वास्तविक प्राप्त प्रतिकर की रकम के बीच अनुपात सभी दावेदारों के लिए समान होगा ।

(2) जहां निधि की सभा यह विनिश्चय करती है कि आपवादिक मामलों में इस नियम के अनुसार प्रतिकर का संदाय किया जा सकता है चाहे पोत के स्वामी ने धारा 352ट के अधीन कोई निधि गठित नहीं की है, तब ऐसे मामलों में प्रतिकर के रूप में संदेय लेखा इकाइयों को प्रतिकर के संदाय की पहली तारीख के बारे में निधि की सभा के ऐसे विनिश्चय की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित विशेष आहरण अधिकार का रुपयों में मूल्य के आधार पर संपरिवर्तित किया जाएगा ।

(3) निधि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो अपने आंतरिक विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी घटना से, जिसके संबंध में उससे प्रतिकर के संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, उद्भूत होने वाली प्रदूषण क्षति के विरुद्ध निवारक उपाय करने के लिए प्रत्यय सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी ।

परंतु ऐसे मामलों में निधि, संविदाकारी राज्य के अनुरोध पर उस राज्य की सहायता करने के लिए उतने कार्मिक, सामग्री और सेवाओं की जितनी ऐसी घटना से उद्भूत होने वाली प्रदूषण क्षति को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी ।

(4) जहां धारा 352भ की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायलय के समक्ष लाए गए प्रदूषण क्षति के लिए प्रतिकर हेतु निधि से दावे के लिए कोई कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों में पारित किसी निर्णय के कारण निधि से परिवर्तनीय हो गया है वहाँ ऐसे मामलों में निधि को धारा 352ड में उपबंधित रीति से संवितरित किया जाएगा ।

भाग - 3
निधि में अभिदाय

7. निधि में अभिदाय. -- (1) निधि में वार्षिक अभिदाय किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जहां --

(क) ऐसे व्यक्ति ने धारा 352न के उपबंधों के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में एक कलैंडर वर्ष में 1,50,000 टन से अधिक की कुल मात्रा में अभिदात्री तेल प्राप्त किया है ।

(ख) किसी कलैंडर वर्ष में ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में प्राप्त अभिदात्री तेल की मात्रा, जब भारत में किसी सहयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अभिदात्री तेल की मात्रा के साथ संकलित किया जाता है तो उस वर्ष में 1,50,000 टन से अधिक हो जाती है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सहयुक्त व्यक्ति " से कोई समनुषंगी या सम्मिलित रूप से नियंत्रित अस्तित्व अभिप्रेत होगा ।

भाग 4
निधि के लेखे

8. निधि के लेखे. --- वार्षिक शोध्य अभिदायों की रकम यदि कोई हो, के निर्धारण के प्रयोजन के लिए और पर्याप्त अस्थिर निधियों को पोषित करने के लिए सभा निम्नलिखित के बजट के रूप में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के लिए एक प्राक्कलन बनाएगी --

(i) व्यय जैसे कि --

(क) सुसंगत वर्ष में निधि के प्रशासन की लागत और व्यय तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संक्रियाओं से कोई कमी ;

(ख) उस सीमा तक कि किसी एक घटना के संबंध में ऐसे दावों की संकलित रकम चार मिलियन लेखा ईकाइयों से अधिक नहीं होती है, ऐसे दावों की तुष्टि के लिए निधि द्वारा पहले लिए गए उधारों पर प्रतिसंदाय सहित अध्याय 2 के अधीन शोध्य निधि से दावों की तुष्टि के लिए सुसंगत वर्ष में निधि द्वारा किए जाने वाले संदाय ;

(ग) उस सीमा तक कि किसी एक घटना के संबंध में ऐसे दावों की संकलित रकम चार मिलियन लेखा ईकाइयों से अधिक हो जाती है, ऐसे दावों की तुष्टि के लिए निधि द्वारा पहले लिए गए उधारों पर प्रतिसंदाय सहित अध्याय 2 के अधीन शोध्य निधि से दावों की तुष्टि के लिए सुसंगत वर्ष में निधि द्वारा किए जाने वाले संदाय ;

(ii) आय जैसे कि --

(क) किसी ब्याज सहित पूर्ववर्ती वर्षों में संक्रियाओं से अधिशेष निधियां ;
(ख) वार्षिक अभिदाय, यदि बजट को संतुलित करने के लिए अपेक्षित हों ;
(ग) कोई अन्य आय ।

(2) सभा, उद्ग्रहीत किए जाने वाले अभिदायों की कुल रकम विनिश्चित करेगी और उसके विनिश्चय के आधार पर निदेशक प्रत्येक संविदाकारी राज्य के संबंध में नियम 7 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी वार्षिक संगणना करेगा --

(क) जहां तक अभिदाय पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्तियों द्वारा सुसंगत राज्य में प्राप्त अभिदात्री तेल की प्रत्येक टन के लिए नियत राशि के आधार पर उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन संदायों की तुष्टि के लिए है ; और

(ख) जहां तक अभिदाय उस पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान, जिसमें घटना घटित हुई थी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त अभिदात्री तेल के प्रत्येक टन के लिए नियत राशि के आधार पर उपनियम (1) के खंड (i) के उपखंड (ग) के अधीन संदायों की तुष्टि के लिए है, परंत यह कि भारत ऐसी घटना की तारीख को निधि अभिसमय का एक पक्षकार था ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट धनराशियां सुसंगत वर्ष में भारत सहित सभी संविदाकारी राज्यों में प्राप्त अभिदात्री तेल की सुसंगत कुल रकम द्वारा अपेक्षित अभिदायों की कुल रकम को विभाजित करने से प्राप्त होगी ।

(4) वार्षिक अभिदाय उस तारीख को किया जाएगा जो निधि द्वारा उसके आंतरिक विनियमों द्वारा विनिश्चित की जा सकेगी और सभा संदाय की किसी भिन्न तारीख को विनिश्चय कर सकेगी ।

भाग 5
निधि की बाध्यताएं

9. अभिदात्री तेल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बाध्यता. -- कोई व्यक्ति जो नियम 7 के अधीन निधि में अभिदाय करने का दायी है ऐसी प्राप्तियों की प्ररूप - 1 में एक रिपोर्ट और अन्य सूचना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो, का एक साक्षिप्त विवरण देगा ।

10. केन्द्रीय सरकार की निधि को रिपोर्ट देने की बाध्यता -- केन्द्रीय सरकार तेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो निधि में अभिदाय करने का दायी है के नाम और पते की सूची और पूर्ववर्ती कलैंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त अभिदात्री तेल की मात्रा निधि को प्ररूप 2 में पारेषित करेगी ।

11. शास्ति -- जो कोई भी इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा धारा 458 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने से दंडनीय होगा ।

प्ररूप - 1
(नियम 9 देखिए)

........वर्ष के लिए निर्यातकर्ता या तेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

क्रम सं0	आयातकर्ता/तेल प्राप्त करने वाले सहयुक्त व्यक्ति सहित व्यक्ति का नाम	आयातकर्ता/तेल प्राप्त करने वाले सहयुक्त व्यक्ति सहित व्यक्ति का पता	टनों में प्राप्त अभिदात्री तेल की मात्रा		टिप्पणियां
			सी.ओ.	एफ. ओ.	

आयातकर्ता/तेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

तारीखः

प्ररूप - 2(क)
(नियम 10 देखिए)

.........कलैंडर वर्ष के लिए भारत में प्राप्त अभिदात्री तेल के संबंध में संक्षिप्त विवरण

ओ.सी. आई/ आर का नाम, पता/फैक्स/ इ.मेल	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	टिप्पणियां (मिट्रिक टन में)
दूसरे देशों से कुल प्राप्त							
तटीय संचलन							
कुल योग							

टिप्पणियां :

टिप्पणः

ओ.सी.आई. — भारत में अभिदात्री तेल आयातकर्ता और ओ.सी.आर. तेल अभिदात्री प्राप्तकर्ता

प्राधिकारी की मुद्रा या स्टाम्प पत्तन का प्राधिकृत हस्ताक्षरी तारीख :
पदधारी का नाम :

प्ररूप 2 - ख

अभिदात्री तेल की प्राप्तियों के संबंध में आई ओ पी सी निधियों को रिपोर्ट

वह राज्य जिसमें तेल प्राप्त किया गया था						
वह वर्ष जिसमें तेल प्राप्त किया गया था						
वह निधि जिसको रिपोर्ट की जा रही है अर्थात् केवल 1992 निधि को केवल पूरक निधि को या दोनों निधियों को	केवल 1992 निधि		केवल पूरक निधि		दोनों निधियां	

अभिदात्री तेल प्राप्त करने वाली कंपनी या अस्तित्व कृपया ठीक वहीं ब्यौरे दें जो आप उन्हें बीजकों पर प्रकट करना चाहते हैं		
कंपनी या अस्तित्व		
ध्यानाकर्षण के लिए		
पता		
संपर्क व्यक्ति पूछताछ करने की दशा में	नाम	
	कार्य का नाम	
	टेलीफोन सं0	
	फैक्स सं.	
	ई-मेल पता	
सहयुक्त कंपनियां या अस्तित्व जो भी अभिदात्री तेल प्राप्त कर सकती हैं		

अभिदात्री तेल की प्राप्तियां			
			मात्रा मीट्रिक टन में निकटतम टन में पूर्णांकित
क. समुद्र द्वारा वहन के पश्चात् सीधे प्राप्त			
	अन्य राज्यों से आयातित		
	उसी राज्य के भीतर तटीय संचलन के पश्चात्		
ख. परिवहन के अन्य ढंग द्वारा प्राप्त अर्थात् समुद्र द्वारा वहन के पश्चात् पाइपलाइन द्वारा			
	किसी गैर- सदस्य राज्य से		
	वह राज्य जिससे प्राप्त हुआ	परिवहन का ढंग	
प्राप्त अभिदात्री तेल की कुल मात्रा			

हस्ताक्षर			
कंपनी या अस्तित्व का अधिकारी		सरकारी पदधारी	
हस्ताक्षरित		हस्ताक्षरित	
तारीख		तारीख	
नाम		नाम	
कार्य का नाम		कार्य का नाम	
		निकाय	

केवल निधि के उपयोग के लिए	फाइल :	से सहयुक्त	92 निधि	पूरक निधि	दर्ज किया गया	जांच की गइ	केवल निधि के उपयोग के लिए
	सीटीआर						

[फा. सं. एस आर-11012/9/2004-एम जी]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2008

G.S.R. 220 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 352ZA of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

PART- I
PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application. - (1) These rules may be called the Merchant Shipping (International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to –

(a) the pollution damage caused by any Indian ship or a foreign ship within the territorial waters of India or any marine areas adjacent thereto over which India has, or may hereafter have, exclusive jurisdiction in regard to control of marine pollution under the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976, or any other law for the time being in force; and

(b) the costs of preventive measures taken to prevent or minimize pollution damage.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires;-

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "Assembly" means the Assembly of all the Contracting States to the Fund Convention;

(c) "Director" means the Chief Administrative Officer of the Fund;

(d) "Section" means section of the Act;

(e) "Ship's tonnage" means the gross tonnage which is calculated in accordance with the Merchant Shipping (tonnage measurement of Ships) Rules, 1987;

(f) "Unit of Account" means the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund in respect of India which shall be converted into rupees on the basis of the value in rupees of the Special Drawing Right as determined by the Reserve Bank of India on the date of decision of the Assembly of the Fund as to the first date of payment of compensation.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in Chapter XB and XC of the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Administration of Fund. – (1) Any claims against the Fund shall be settled and distributed in accordance with the decision and approval of the Assembly.

(2) The Director, being the Chief Administrative Officer of the Fund, shall collect the contributions made to the Fund and deal with the settlement of claims in accordance with the internal regulations approved by the Assembly and where any dispute arises, he shall be the legal representative of Fund.

PART-II
PAYMENT OF COMPENSATION

4. Liability of the Fund. – (1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3) and rule 5, the Fund is liable to pay compensation to a person suffering pollution damage where -

(a) the liability of the owner for pollution damage does arises under section 352I;

(b) he is unable to obtain full and adequate compensation under section 352J;

(c) the person liable is financially incapable of meeting his obligations in full;

(d) the financial security provided under section 352N is insufficient to satisfy the claims;
(e) such pollution damage has resulted from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character.

(2) The Fund shall not be liable to pay any compensation where -

(a) the Fund proves that the pollution damage has resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection; or was caused by discharge or escape of oil from a warship or ship owned and operated by the Government and used, at the time of the incident, only for the Government non-commercial service;

(b) the claimant cannot prove that the pollution damage has resulted from an incident involving one or more ships;

(c) any claim to compensation has been made after six years.

(3) Where the Fund proves that the pollution damage has resulted wholly or partially from an act or omission done with the intent to cause damage by the person who suffered the pollution damage or from the negligence of such person, the Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation:

Provided that the Fund shall be exonerated only to the extent the ship owner may be exonerated under section 352I:

Provided further that the Fund shall not be exonerated in respect of preventive measures taken to prevent or minimize pollution damage.

5. Limitation of Liability of Fund. – (1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), the aggregate amount of compensation payable by the Fund under rule 4 shall, in respect of any one incident, be so limited that the total sum of the amount of compensation paid by the Fund under these rules and the amount of compensation actually paid under section 352I shall not exceed 135 million units of account:

Provided that in the case of such incident occurring on or after the 1st November, 2003, the total sum of the amount of compensation payable shall not exceed 203 millions units of account.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3), the aggregate amount of compensation payable by the Fund under these rules for pollution damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable

and irresistible character referred to in clause (e) of sub-rule (1) of rule 4 shall not exceed 135 million units of accounts.

Provided that in the case of such incident occurring on or after the 1st November, 2003, the total sum of the amount of compensation payable shall not exceed 203 millions units of account.

(3) Where any incident occurring during any period involving three State parties to the Fund Convention in respect of which the combined relevant quantity of contributing oil received by persons in the territories of such State Parties during the preceding calendar year either equalled or exceeded 600 million tons, the maximum amount of compensation referred to in sub-rules (1) and (2) shall be 200 million units of account:

Provided that in the case of such incident occurring on or after the 1st November, 2003, the total sum of the amount of compensation payable shall not exceed 300.74 millions units of account.

(4) The interest, if any, accrued on the Limitation Fund constituted under section 352K shall not be taken into account for the purpose of computation of the maximum compensation payable by the Fund under this rule.

6. Manner of payment of compensation.- (1) Where the amount of established claims against the Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under rule 5, the available amount of the Fund shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this rule shall be the same for all claimants.

(2) Where the Assembly of the Fund decides that in exceptional cases the compensation in accordance with this rule can be paid even if the owner of the ship has not constituted a fund under section 352K, then, in such cases, the units of account payable as compensation shall be converted into rupees on the basis of the value in rupees of the Special Drawing Right as determined by the Reserve Bank of India on the date of such decision of the Assembly of the Fund as to the first date of payment of compensation.

(3) The Fund may, subject to such conditions as may be specified in its internal regulations, provide credit facilities for taking preventive measures against pollution damage arising from incident in respect of which it is required to pay compensation.

Provided that in such cases, the Fund may, on the request of the Contracting State, use its good offices to assist that State to secure promptly personnel, material and services that may be necessary to prevent or mitigate pollution damage arising from such incident.

(4) Where any action for claim against the Fund for compensation for pollution damage brought before the High Court under sub-section (1) of section 352X has become enforceable against the Fund by virtue of any judgement passed in such proceeding, the Fund in such cases shall be distributed in the manner provided in section 352M.

PART-III
CONTRIBUTION TO THE FUND

7. Contribution to the Fund. – (1) Annual contribution to the Fund shall be made by a person where –

(a) such person has received, in a calendar year, contributing oil in total quantities exceeding 1,50,000 tons in the territory of India in accordance with the provisions of section 352T.

(b) the quantity of contributing oil received in the territory of India by such person in a calendar year when aggregated with the quantity of contributing oil received by any associated person or persons in India in that year exceeds 1,50,000 tons.

Explanation.- For the purposes of this rule, "associated person" shall mean any subsidiary or commonly controlled entity.

PART-IV
ACCOUNTS OF THE FUND

8. Accounts of the Fund.- (1) For the purposes of assessing the amount of annual contributions due, if any, and for maintaining sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of -

(i) expenditure such as -

(a) costs and expenses of the administration of the Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years;

(b) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Chapter II, including repayment on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident does not exceed four million units of account;

(c) payments to be made by the Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Fund due under Chapter II, including repayments on loans previously taken by the Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount of such claims in respect of any one incident is in excess of four million units of account;

(ii) income such as-

(a) surplus funds from operations in preceding years, including any interest;

(b) annual contributions, if required to balance the budget;

(c) any other income;

(2). The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied and on the basis of that decision, the Director shall, in respect of each contracting State calculate for each person referred to in rule 7, the amount of his annual contribution-

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments under sub-clauses (a) and (b) of clause (i) of sub-rule (1) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such persons during the preceding calendar year; and

(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments under sub-clause (c) of clause (i) of sub-rule (1) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident occurred, provided that India was a party to the Fund Convention on the date of such incident.

(3) The sums referred to in sub rule (2) shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States including India in the relevant year.

(4) The annual contribution shall be made on such date as may be decided by the Fund as per its internal regulations and the Assembly may decide on a different date of payment.

PART-V
OBLIGATIONS TO THE FUND

9. **Obligation of persons receiving contributing oil.-** Any person who is liable to contribute to Fund under rule 7 shall give a report of such receipts and such other information as may be required by the Central Government in Form-I and a Summary.

10. **Obligation of Central Government to Report to Fund.** –The Central Government shall transmit to the Fund the list of names and addresses of the person receiving oil who is liable to contribute to the Fund and the quantity of contributing oil received by such person during the preceding calendar year in Form-II.

11. **Penalty.** - Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punishable with fine in accordance with the provisions of section 458.

FORM- I
(See rule 9)

DECLARATION BY IMPORTER OR PERSONS RECEIVING OIL FOR THE YEAR ------.

Sl. No.	Name of Importer / person including associated person receiving oil.	Address of Importer / person including associated person receiving oil.	Quantity of Contributing oil received in tons		Remarks
			C.O.	F.O.	

Signature of the importer / person receiving oil

Authorized person name

Date:

FORM- II -(A)

[See rule 10}

SUMMARISED STATEMENT ON CONTRIBUTING OIL RECEIVED IN INDIA FOR THE CALENDER YEAR---------------------

Name/Address Fax/Email of O.C.I/R \ Oil Exporting Countries	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	Remarks (in Metric Tones)
Total received from other countries							
Coastal Movement							
Grand Total							

Remarks:

Note:
O.C. I. – Oil Contributing Importers and O.C.R. Oil Contributing Receivers in India

Seal or Stamp of Authority   Authorized Signatory of the Port   Date:
Name of the Official:

FORM II-B

REORT TO THE IOPC FUNDS ON RECEIPTS OF CONTRIBUTING OIL

STATE in which oil was received						
YEAR in which oil was received						
FUND to which report is being made i.e. to the 1992 Fund only, to the Supplementary Fund only or to both Funds.	1992 Fund only		Supp Fund only		Both Funds	

COMPANY OR ENTITY RECEIVING CONTRIBUTING OIL Please give details exactly as you would like them to appear on invoices		
COMPANY OR ENTITY		
FOR THE ATTENTION OF		
ADDRESS		
CONTACT PERSON In case of queries	Name	
	Job title	
	Telephone No.	
	Fax No.	
	Email address	
ASSOCIATED COMPANIES OR ENTITIES which may also have received contributing oil		

RECEIPTS OF CONTRIBUTING OIL			
			QUANTITY in metric tones, rounded to the nearest tonne
A. Received directly after carriage by sea			
	Imported from other States		
	After coastal movement within the same State		
B. Received by other modes of transport eg by pipeline, after carriage by sea From a non-Member State			
	State from which received	**Mode of transport**	
TOTAL QUANTITY OF CONTRIBUTING OIL RECEIVED			

SIGNATURES			
OFFICER OF COMPANY OR ENTITY		**GOVERNMENT OFFICIAL**	
Signed		Signed	
Date		Date	
Name		Name	
Job title		Job title	
		Body	

FUND USE ONLY	File:	Associated to	92 Fund	SF	Entered	Checked	**FUND USE ONLY**
	CTR						

[F. No. SR-11012/9/2004-MG]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.